

महत्वपूर्ण
तत्काल



निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email - mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक-एफ-37/PN-01/2021/तीन/954

भोपाल, दिनांक 28/12/2021

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय: त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) निरस्त करने के संबंध में।

- संदर्भ: 1. आयोग का पत्र क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/681-683, दिनांक 04/12/2021.
2. आयोग का आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/953, दिनांक 28/12/2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/953, दिनांक 28/12/2021 की प्रति संलग्न है।

आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/681 दिनांक 04/12/2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन समय-अनुसूची (कार्यक्रम) एवं उनके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों को निरस्त किया गया है।

कृपया आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(बी.एस.जामोद)

सचिव

2 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृ0क्रमांक-एफ-37 / PN-01 / 2021 / तीन / 955
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2021

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव(कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल ।
10. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी, भोपाल ।
14. आयुक्त जनसम्पर्क, म0प्र0, भोपाल, की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित ।
15. श्रमायुक्त इन्दौर मध्यप्रदेश ।
16. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म0प्र0, भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित ।
17. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
18. समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
19. उप संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ।
20. स्टाफ आफिसर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
21. जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ।
22. समस्त अनुभाग अधिकारी, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
23. प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
24. गार्ड फाईल ।

(अजीजा सरेश्वर जफर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

महत्वपूर्ण
तत्काल



हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email - mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

क्र./एफ-37/PN-01/2021/तीन/953

भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2021

// आदेश //

1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-28 की अपेक्षा अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/681 दिनांक 04.12.2021 द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु समय अनुसूची विहित की जाकर निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था।
2. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के क्रमांक एफ-35/PN-01/2021/तीन/16-18, दिनांक 04.01.2021 द्वारा संदर्भ तिथि 01 जनवरी 2021 के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम-14 की अपेक्षानुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम नियत कर दिनांक 03 मार्च 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसके आधार पर आम निर्वाचन प्रस्तावित था।
3. मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा-9 के पश्चात् धारा-9क का अंतःस्थापन किया गया, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-454 दिनांक 21.11.2021 में किया गया है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार अंतःस्थापित किया गया :-

***9क कतिपय अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के भावी परिसीमन अथवा विभाजन का निरस्तीकरण समझा जाना.**

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु ऐसी पंचायत के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से उक्त परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहाँ उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :-

- (एक) इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायतों या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला ग्राम पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था;
- (दो) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के आधार पर किया जायेगा, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे;

(तीन) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों या जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित बने रहेंगे जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे:

परन्तु उपरोक्त परिणाम, ऐसी ग्राम पंचायतों अथवा उनके वार्डों या जनपद पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों या जिला पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना के कारण परिसीमित या विभाजित किए गए थे, के संबंध में लागू नहीं होंगे।"

उक्त अध्यादेश के परिणाम स्वरूप परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस पंचायतों के पूर्व कार्यकाल के अनुसार प्रभावशील हो गया।


4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-12, 23 एवं 30 में परिसीमन संबंधी अधिकार एवं उक्त अधिनियम की धारा-13, 17, 23, 25 एवं 30 में आरक्षण संबंधी अधिकार राज्य शासन में निहित है।
5. मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 प्रभावशील होने के फलस्वरूप परिसीमन के आधार पर मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किये जाने हेतु आयोग के आदेश क्रमांक एफ-35/PN-01/2021/तीन/532 दिनांक 23.11.2021 द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिनांक 06.12.2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया।
6. आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/681 दिनांक 04.12.2021 द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 तीन चरणों में सम्पादित कराये जाने हेतु समय अनुसूची (कार्यक्रम) निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-28 के अंतर्गत निर्वाचन की सूचना तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-29क के अंतर्गत स्थानों/सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना दिनांक 13.12.2021 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई है।
7. निर्वाचन प्रक्रिया के प्रचलन के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP(C) क्रमांक 20734/2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495/2021] मनमोहन नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 में यह निर्देशित किया गया कि :-

"Accordingly, we direct the Madhya Pradesh State Election Commission to stay the election process in respect of OBCs seats only, in all the local bodies and to re-notify those seats for General Category. Further, election for General Category seats shall proceed along with other election already notified and is underway but results of all the seats (including re-notified General seats) will be declared together on the same day."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 के अनुक्रम में शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग पदों को re-notify किये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग के क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/839 दिनांक 17.12.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार आयोग के क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/896 दिनांक 22.12.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये।
9. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 513 दिनांक 26.12.2021 द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लिया गया है।
10. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 दिनांक 26.12.2021 को वापस लिये जाने के परिणाम स्वरूप वर्तमान में अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 दिनांक 21.11.2021 के पूर्व की स्थिति प्रभावशील हो गई है अर्थात् -
 - (अ) आयोग द्वारा जिस परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची तैयार कराई गई थी, वह परिसीमन वर्तमान में परिवर्तित हो गया है। अर्थात् आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता सूची तैयार की गई है, वह वर्तमान में प्रभावशील परिसीमन के अनुरूप नहीं है।
 - (ब) ग्राम पंचायतों एवं उनके वार्ड, जनपद पंचायतों एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला पंचायतों एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं उस अनुरूप नहीं रह गई हैं, जैसी की निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के समय विद्यमान थी। इसी प्रकार स्थानों/सीटों के आरक्षण की स्थिति भी परिवर्तित हो गई है।
11. अध्यादेश वापस लिये जाने के परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम (समय अनुसूची) अनुसार निर्वाचन के संचालन हेतु परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस वह नहीं रहा जिसके आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इस स्थिति में प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को वर्तमान स्वरूप में निरंतर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
12. अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहपटित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021/तीन/681 दिनांक 04.12.2021 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन समय-अनुसूची (कार्यक्रम) एवं उनके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों को निरस्त किया जाता है।
13. त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है और इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में अत्याधिक विलम्ब हो चुका है। आयोग के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु शीघ्र निर्वाचन करवाया जाना आवश्यक है। आगामी निर्वाचन प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP(C) क्रमांक 20734/2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495/2021] मनमोहन नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 का पालन करते हुए यथाशीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(बसंत प्रताप सिंह)

राज्य निर्वाचन आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग